"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2006—आषाढ़ 9, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं लक्ष्मण केंवट, आत्मज हलालखोर, जाति केंवट, निवासी ग्राम बघमरा, पोस्ट तहसील गुण्डरदेही, जिला दुर्ग (छ.ग.) का निवासी हूं तथा संचा./संधा. संभाग छ. रा. विद्युत मण्डल बालोद के अंतर्गत सुरेगांव वितरण केन्द्र में परिचारक श्रेणी-एक (लाईनमेन) के पद पर कार्यरत हूं. मैं अपना नाम परिवर्तन कर नया नाम लछनलाल आ. हलालखोर कर लिया है तथा इस आशय का शपथ-पत्र सक्षम अधिकारी का प्रस्तुत कर दिया हूं. अतः मुझे अब लछनलाल आ. हलालखोर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
लक्ष्मण केंवट आ. हलालखोर निवासी-ग्राम बघमरा पोस्ट व तहसील गुण्डरदेही जिला-दुर्ग (छ. ग.)	लछनलाल आ. हलालखोर निवासी-ग्राम बघमरा पोस्ट व तहसील गुण्डरदेही जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, लोक न्यास के पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.)

अंबिकपुर, दिनांक 9 मई 2006

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[छ.ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 का उप-नियम (1) देखिये]

लोक न्यास/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अंबिकापुर, जिला सरगुजा के समक्ष.

क्रमांक 1004/वाचक-1/2005.—यह कि श्री गौरी शंकर दुबे, निवासी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28-6-2006 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अत: मैं सिद्धार्थ सिंह परदेशी, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 28-6-2006 को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच कराना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और मेरे न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभावक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

1.	ट्रस्ट का नाम	:	वेदान्त ट्रस्ट
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	ग्राम हर्राटिकरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/10 रकबा 1.821 हे.

सिद्धार्थ सिंह परदेशी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.